FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

<u>सराहनीय कार्य दिनाँक 13-11-2023 थाना अराँव जनपद फिरोजाबाद।</u>

एसएसपी फिरोजाबाद द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश- निर्देशों के क्रम में दिनाँक 08-11-23 को कुएं में मिले शव (हत्या) के मुकदमें का सफल अनावरण करते हुए थाना अराँव पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

- **अभियुक्तों से हत्या में प्रयुक्त रंक्त रंजित आलाकत्ल खुरपी बरामद।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधीगण की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक देहात एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.11.2023 को थाना अरांव पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.कृष्णमुरारी उर्फ दर्शन सिंह पुत्र गुरूदयाल निवासी कुंजपुर हवेली थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद 2. कायम सिह पुत्र गुरूदयाल निवासी उपरोक्त द्वारा रामविलास उर्फ पप्पू पुत्र मिश्रीलाल नि0-ग्राम कंचनपुर थाना करहल जनपद मैनपुरी को खुरपी से काट कर हत्या कर देना तथा शव को कुए मे फेक देने के सम्बन्ध मे वादी श्री मनोज कुमार पुत्र हरिनन्दन निवासी कुंजपुर हवेली थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद द्वारा दी गयी तहरीर सूचना के आधार पर दिनांक 08.11.2023 को समय 09.28 बजे मु0अ0सं0 386/23 धारा 302/201/34 भादवि वनाम दर्शन सिंह आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया अराँव पुलिस के अथक प्रयास से 05 दिवस के अन्दर अभियुक्त कृष्णमुरारी उर्फ दर्शन सिंह को समय 06.55 बजे व अभियुक्त कृष्णमुरारी उर्फ दर्शन सिंह उपरोक्त की निशादेही पर एक अदद खुरपी जिस पर खून की छीटे पडी हुयी के गिरफ्तार किया गया। व अभियुक्त कायम सिंह उपरोक्त को समय 09.30 बजे पर अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया है अभियुक्तगणो को वास्ते रिमाण्ड माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ अभियुक्त- अभियुक्त कृष्णमुरारी उर्फ दर्शन सिंह पुत्र गुरुदयाल नि0-ग्राम कुन्जपुर हवेली थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद से पूछताछ पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि मेरे गांव मे रामविलास उर्फ पप्पू पुत्र मिश्रीलाल नि0-ग्राम कंचनपुर थाना करहल जनपद मैनपुरी की बहन ब्याही हुयी थी इस कारण उसका हमारे गांव मे आना –जाना था मै हरियाणा मे प्राईवेट कम्पनी मे काम करता था इस कारण मै गांव मे कम रह पाता था इसी बीच रामविलास उर्फ पप्पू का मेरे घर पर आना-जाना हो गया था रामविलास उर्फ पप्पू एक बहुत ही खतरनाक किस्म का बदमाश था उसने मेरी गैरमौजूदगी मे मेरे घर आने-जाने के दौरान मेरी पत्नी को अपनी बदमाशी का भय दिखाकर जबरन मेरी पत्नी से सम्बन्ध बना लिये थे मैने अपनी पत्नी के साथ रामविलास उर्फ पप्पू को संदिग्ध अवस्था मे देखा था उसके बाद उसने मुझे धमकी दी थी कि चुपचाप बने रहो नही तो मै तुम लोगो को व तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा हम गरीब आदमी है हम डर गये व चुपचाप हो गये मेरे बडे भाई कायम सिंह पुत्र गुरुदयाल नि0-ग्राम कुन्जपुर हवेली थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ने भी मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करते हुये रामविलास उर्फ पप्पू को देख लिया था उसने मेरी पत्नी का नग्न वीडियों भी बनाया था और उसे वायरल करने की धमकी देता था जिससे गांव व समाज मे हमारी काफी बदनामी हो रही थी योजना के तहत दिनाँक 05.11.23 को शाम मे फोन कराया मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे पति घर पर नही है तुम आ जाओ मैने अपनी

पत्नी को समझा दिया था और मेरी पत्नी ने जमीन पर गद्दा व चादर बिछा दी थी मै खुरपी लेकर बक्शा के पीछे छिप गया था मेरा बडा भाई कायम सिंह घर के बाहर छिप कर रखवाली कर रहा था दि0-05.11.23 को 08.00 बजे रात्रि मे रामविलास उर्फ पप्पू मेरे घर आ गया था मैने बक्शे के पीछे से आकर खुरपी से रामविलास उर्फ पप्पू के सिर पर वार किया तो रामविलास उर्फ पप्पू गद्दे पर गिर गया और मेरी पत्नी ने उसके पैर पकड लिये थे मैने खुरपी से उसके ऊपर उसके सिर व मुंह पर ताबडतोड प्रहार किये और उसके बाद रस्सी से उसका गला काफी देर दबाये रखा और रामविलास उर्फ पप्पू मौके पर ही मर गया तो मेरे बडे भाई कायम सिंह ने कहा कि किसी ने नही देखा उसके बाद उसके शव को हाथ –पैर बांधकर पालिथीन मे रख दिया और गद्दे व चादर व रामविलास उर्फ पप्पू को जलाकर नष्ट कर दिया था और उसके मोबाईल को कुचल दिया ईंट से उसके बाद मै मेरा भाई कायम सिंह व मेरी पत्नी लाश को घर से करीब 500 मीटर पुराना कुआँ मे फैंक आये थे और ईंट से कुचला हुआ मोबाईल भी रात्रि 10-11 बजे के बीच लाश को कुये मे फैकने के समय कहीं फेक दिया था जिसकी जानकारी मुझे नही है साहब गलती हो गयी माफी चाहता हूँ। अभियुक्त कृष्णमुरारी उर्फ दर्शन सिंह रामविलास उर्फ पप्पू की हत्या अपनी पत्नी सरिता देवी व अपने बडे भाई कायम सिंह के साथ मिलकर हत्या करने का जुर्म का इकवाल किया है जिससे उक्त अभियोग मे अभियुक्त कायम सिंह पुत्र गुरूदयाल निवासी ग्राम कुंजपुर हवेली थाना अरांव फिरोजाबाद का नाम प्रकाश मे आया है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -</u>

1. कृष्णमुरारी उर्फ दर्शन सिंह निवासी ग्राम कुंजपुर हवेली थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।
2. कायम सिंह पुत्र गुरूदयाल निवासी ग्राम कुंजपुर हवेली थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः-</u> अभियुक्त का घर कस्वा अरांव थाना अरांव फिरोजाबाद
दिनांक 13.11.23 समय 06.55 बजे व समय 09.30 बजे

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1. मु0अ0स0 386/23 धारा 302/201/34 भादवि थाना अरांव जिला फिरोजाबाद।
2.

<u>बरामदगीः-</u>

1 अदद खुरपी खून की छीटे पडी हुयी (हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल)

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र पाल सिंह थाना अरांव फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना अरांव फिरोजाबाद।
3. का0 1242 सत्यम राजपूत थाना अराँव जनपद फिरोजाबाद।

5\. का0 1536 रिंकू चौधरी थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।